

अध्याय-2
वाणिज्य-कर

अध्याय-2: वाणिज्य-कर

2.1 कर प्रशासन

राज्य में वाणिज्य-कर¹ का आरोपण एवं संग्रहण, निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमावलियों द्वारा शासित है:

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर (प्रवेश कर) अधिनियम, 1993;
- बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948;
- बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988;
- बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948;
- बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर अधिनियम, 2011; एवं
- बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007।

वाणिज्य-कर विभाग के प्रमुख वाणिज्य-कर आयुक्त होते हैं जिनकी सहायता मुख्यालय स्तर पर अन्वेषण ब्यूरो सहित पाँच अपर आयुक्त, तीन वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, 10 वाणिज्य-कर उपायुक्त/वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त एवं पाँच वाणिज्य-कर पदाधिकारी करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर राज्य को नौ² प्रशासनिक प्रमंडलों, नौ³ अपीलीय प्रमंडलों एवं नौ⁴ अंकेक्षण प्रमंडलों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक के प्रधान, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त होते हैं। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को पुनः 50 अंचलों में विभाजित किया गया है, जिसके प्रधान वाणिज्य-कर उपायुक्त/वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त होते हैं, जिनकी सहायता वाणिज्य-कर पदाधिकारी करते हैं। अंचल, विभाग के कार्यकलाप का मूलभूत केन्द्र है।

2.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 एवं बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, आयुक्त को आगामी वर्ष के 31 मार्च तक अंकेक्षण प्रमंडलों द्वारा जिसके प्रमुख वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण) होते हैं, नियत तिथि⁵ के 36 माह के भीतर व्यवसायियों की विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए वह संख्या जो कि उनकी समझ से उपयुक्त हो, चयन हेतु शक्ति प्रदान करता है। लेखापरीक्षा के उपरांत लेखापरीक्षा अवलोकनों को कर-निर्धारण/पुनः कर-निर्धारण एवं राजस्व के वसूली के लिए अंचल में भेजा जाता है।

वाणिज्य-कर विभाग में नौ अंकेक्षण प्रमंडल हैं जो व्यवसायियों द्वारा दाखिल रिटर्न/विवरणियों के अंकेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। वर्ष 2016-17 में, वाणिज्य-कर आयुक्त ने कर देयता की सत्यता की जाँच के लिए कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए 2,385 व्यवसायियों का चयन किया। वर्ष 2016-17 के दौरान पाया गया कि आठ अंकेक्षण प्रमंडलों ने वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि से संबंधित 17,382 व्यवसायियों का अंकेक्षण निष्पादित किया, जो कि वाणिज्य-कर आयुक्त द्वारा वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान चयनित किये गए थे, जिनमें कुल ₹ 476.01 करोड़ (चार अंकेक्षण प्रमंडलों) के लेखापरीक्षा अवलोकन पाए गए। शेष चार अंकेक्षण

¹ वाणिज्य-कर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर और शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर-पेशा, व्यापार आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल हैं।

² भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

³ भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

⁴ भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

⁵ कम्पनी एवं व्यवसायियों जिनके लेखे, अधिनियम या किसी अन्य नियम के अंतर्गत लेखापरीक्षित किए गए हों, के मामले में 31 दिसम्बर तथा अन्य व्यवसायियों के मामले में 31 जुलाई।

प्रमंडलों ने लेखापरीक्षा अवलोकनों का मौद्रिक मूल्य उपलब्ध नहीं कराया एवं किसी भी अंकेक्षण प्रमंडल ने उनके लेखापरीक्षा अवलोकनों के विरुद्ध वसूली की राशि को उपलब्ध नहीं कराया।

2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016-17 के दौरान महालेखाकार ने वाणिज्य-कर विभाग के 63 इकाइयों में से 43 इकाइयों (68 प्रतिशत) (50 अंचलों में से 41 अंचलों⁶ एवं छः चेकपोस्टों में से दो चेकपोस्टों⁷) का नमूना जाँच किया। वाणिज्य-कर विभाग ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 17,122.42 करोड़ राजस्व का संग्रह किया जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 16,690.50 करोड़ (97 प्रतिशत) का संग्रह किया था। लेखापरीक्षा ने 2,36,032 व्यवसायियों, जो कि नमूना जाँचित इकाइयों में निबंधित थे, में से 5,080 व्यवसायियों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया एवं 2,409 मामलों में कुल ₹ 1,198.87 करोड़ की अनियमितताओं को चिन्हित किया, जैसा कि तालिका-2.1 में वर्णित है।

तालिका-2.1

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	आवर्त का छिपाव किया जाना	472	494.03
2.	कर का गलत दर लगाया जाना	95	36.71
3.	कर का आरोपण नहीं/कम किया जाना	456	67.47
4.	इनपुट टैक्स क्रेडिट ⁸ की अधिक/गलत अनुमति दिया जाना	284	83.75
5.	छूट की अनियमित अनुमति दिया जाना	290	214.62
6.	आवर्त का गलत निर्धारण किया जाना	67	44.38
7.	आयातित मूल्य का छिपाव किया जाना	186	66.00
8.	प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना	24	2.63
9.	विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं/कम किया जाना	4	107.20
10.	मनोरंजन कर का आरोपण नहीं/कम किया जाना	4	1.98
11.	अन्य मामलें	527	80.10
	कुल	2,409	1,198.87

विभाग ने अप्रैल 2016 एवं मार्च 2018 के बीच 559 मामलों में ₹ 212.83 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया। इनमें से ₹ 51.82 करोड़ के 204 मामलें 2016-17 के दौरान तथा शेष मामलें पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे। पुनः विभाग ने (अप्रैल 2016 एवं मार्च 2018 के बीच) 105 मामलों में ₹ 22.57 करोड़ की वसूली किया जिनमें से 2016-17 के दौरान ₹ 13.63 करोड़ के मामलें तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। 2016-17 के शेष एवं पूर्ववर्ती वर्षों के मामलों के उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2018)।

इस अध्याय में 16 कंडिकाएँ हैं जिसमें 205 मामलों में ₹ 178.41 करोड़ सन्निहित हैं। इनमें अधिकांश अनियमिततायें, इसके बावजूद कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में पिछले पाँच वर्षों से लगातार समान मामलें इंगित किए गए थे, निरंतर घटित हो रही है जैसा कि तालिका-2.2 में वर्णित है।

⁶ औरंगाबाद, बगहा, बाढ़, बेगुसराय, भभुआ, भागलपुर, छपरा, बिहारशरीफ, दानापुर, दरभंगा, फारबिसगंज, गाँधी मैदान, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, कदमकुआँ, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोतीहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, नवादा, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, रक्सौल, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सिवान एवं तेघड़ा।

⁷ दालकोला एवं रजौली।

⁸ बिक्री के बाद के चरणों पर भुगतान कर से पूर्ववर्ती चरणों पर इनपुट (क्रय) पर भुगतान किए गए कर का क्रेडिट (सेट-ऑफ)।

तालिका-2.2

(₹ करोड़ में)

अवलोकन की प्रकृति	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		कुल	
	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि
आवर्त का छिपाव	43	55.37	9	18.08	12	76.26	64	452.39	23	12.41	151	614.51
इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा	19	102.86	17	31.06	7	33.80	55	40.06	21	4.89	119	212.67
क्रय-कर का आरोपण नहीं किया जाना	-	-	-	-	1	0.10	8	13.86	3	0.86	12	14.82
कर का गलत दर लगाया जाना	31	39.85	24	56.81	8	4.66	34	7.77	8	4.21	105	113.30
अधिभार का आरोपण नहीं किया जाना	-	-	-	-	-	-	6	0.29	9	0.60	15	0.89
मूल्यवर्द्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर का प्रवेश कर के भुगतान के विरुद्ध गलत समायोजन	12	10.91	23	12.34	38	20.48	40	40.38	12	5.80	125	89.91
कटौतियों की गलत अनुमति	13	1.73	21	13.01	14	4.41	28	10.72	6	2.84	82	32.71
मार्गस्थ बिक्री के मद में अनियमित कटौती	-	-	-	-	2	4.02	3	7.73	-	-	5	11.75
प्रवेश कर का कम आरोपण	-	-	-	-	-	-	-	-	9	838.97	9	838.97
आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण	4	23.67	12	86.88	45	272.61	-	-	9	2.00	70	385.16
प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना	11	8.80	6	3.63	22	66.66	5	0.16	4	0.77	48	80.02
स्वीकृत प्रवेश कर का कम भुगतान/वसूली नहीं किया जाना	2	0.84	4	1.51	19	135.60	3	2.11	6	5.80	34	145.86
रिवर्स क्रेडिट की गणना नहीं/कम किया जाना	-	-	4	0.45	1	0.08	8	16.36	3	1.79	16	18.68
स्वीकृत कर का कम भुगतान एवं ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	11	1.34	9	1.19	14	1.85	89	21.26	54	48.88	177	74.52
निबंधन नहीं होने के कारण प्रवेश कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	11	2.80	16	13.22	26	2.13	6	0.42	8	0.76	67	19.33

अनुशंसा:

विभाग को भविष्य में समान चूकों/अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एवं चूकों/अनियमितताओं का पता लगाने के लिए सुधारात्मक/निवारक उपायों की शुरुआत करनी चाहिए।

2.4 आवर्त का छिपाव किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 24.31 करोड़ के आवर्त के छिपाव का पता नहीं लगाया जिससे आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 11.17 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, के अंतर्गत कर-निर्धारण प्राधिकारी को छिपाव, त्रुटि या सही बिक्री/खरीद के प्रकटीकरण में विफलता के मामलों में छूटे हुए आवर्त पर देय कर एवं ब्याज के अलावा देय कर का तीन गुणा अर्थदण्ड आरोपित करने का शक्ति प्रदत्त है। पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के उपधारा (क) से (छ) के तहत कर-निर्धारण प्राधिकारी विहित छः जाँच सूची के अनुसार प्रत्येक तिमाही एवं वार्षिक रिटर्न की संवीक्षा करेगा।

दस वाणिज्य कर अंचलों⁹ में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि 12 व्यवसायियों (संवीक्षा के दो मामलों एवं स्व-कर निर्धारण के 10 मामलों) ने वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान ₹ 1,127 करोड़ के वास्तविक क्रय/बिक्री आवर्त के विरुद्ध केवल ₹ 1,102.69 करोड़ का क्रय/बिक्री आवर्त प्रतिवेदित किया, जैसा कि व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत/दाखिल संबंधित अभिलेखों¹⁰ के तिर्यक जाँच में पाया गया, फलस्वरूप ₹ 24.31 करोड़ के आवर्त का छिपाव हुआ। कर-निर्धारण प्राधिकारी 10 मामलों का संवीक्षा करने में विफल रहे एवं उनके द्वारा दो संवीक्षित मामलों में भी अभिलेखों से आवर्त के छिपाव का पता नहीं लगाया जा सका, जिससे ₹ 7.77 करोड़ के अर्थदण्ड एवं ₹ 78.91 लाख के ब्याज सहित ₹ 11.17 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने जून और अगस्त 2017 के बीच चार मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए ₹ 5.10 करोड़ का मांग सृजित किया। स्वीकृत मामलों में वसूली और शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2018), यद्यपि विभाग को मामला जुलाई 2017 में ही प्रतिवेदित किया गया था।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह के अवलोकनों को इंगित किया गया था जिसमें कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्नों की प्रभावी संवीक्षा कर 151 व्यवसायियों से ₹ 614.51 करोड़ के कर का कम संग्रहण का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि चूक/अनियमितताओं की पुनरावृत्ति जारी है।

अनुशंसा:

विभाग को संवीक्षा मापदण्डों के आवधिक पुनरीक्षण द्वारा आवर्त के छिपाव का पता लगाने हेतु यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवसायियों के अन्य संबंधित अभिलेखों से रिटर्नों में दर्शाये गये आवर्त के विवरणों का तिर्यक जाँच हो।

2.5 कर का गलत दर लगाया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारी कर के गलत दर लगाये जाने का पता लगाने में विफल रहे जिससे ब्याज सहित ₹ 12.45 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, के प्रावधानों के तहत कर-निर्धारण प्राधिकारी को तिमाही रिटर्न के साथ-साथ वार्षिक रिटर्न की संवीक्षा करनी है ताकि कर के सही दरों को लगाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। पुनः अधिनियम, संवीक्षा के बाद देय कर की राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर से ब्याज आरोपित करना प्रावधित करता है।

सोलह वाणिज्य कर अंचलों¹¹ में कर-निर्धारण अभिलेखों के लेखापरीक्षा नमूना जाँच से पता चला कि 44 व्यवसायियों¹² की कर देयता का कर-निर्धारण/स्व-कर निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹ 129.02 करोड़ के विभिन्न वस्तुओं¹³ की बिक्री पर एक से 13.5 प्रतिशत

⁹ गया, कदमकुआँ, मुंगेर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना मध्य, पटना उत्तरी, पटना विशेष, पटना सिटी पूर्वी एवं पटना सिटी पश्चिमी।

¹⁰ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (टीएआर), व्यापार खाते एवं लाभ एवं हानि लेखे, तिमाही एवं वार्षिक रिटर्न, सिम्पलीफाईड यूजेज ऑफ वेहिकल इनफोरमेशन डाटा हारमोनाइज्ड एप्लीकेशन (सुविधा) तथा फार्म-‘सी’ घोषणा-पत्रों की उपयोगिता विवरणी।

¹¹ भागलपुर, दरभंगा, गाँधी मैदान, गोपालगंज, कदमकुआँ, मधुबनी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, रक्सौल, सहरसा एवं समस्तीपुर।

¹² बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत कर-निर्धारण का एक मामला, संवीक्षा के तीन मामले एवं स्व-कर निर्धारण के 40 मामले।

¹³ स्टोन चिप्स, स्टोन बोल्डर्स एवं ब्लास्ट, मोबाईल फोन बैट्री चार्जर, टिम्बर, स्टोन डस्ट, ऑटो एसेसरिज, बिटुमिन इमल्शन, इमिटेशन ज्वेलरी एवं रोल्ड गोल्ड से निर्मित वस्तुएँ एवं ₹ 100 करोड़ या अधिक के सकल आवर्त वाले व्यवसायी द्वारा बिक्री किया गया बेसन।

की सही लागू दर के बदले शून्य से पाँच प्रतिशत की कम दरों पर किया गया। इन 44 व्यवसायियों में से, 40 मामलों में, कर-निर्धारण प्राधिकारी रिटर्न की संवीक्षा करने एवं कर के गलत दर लगाये जाने का पता लगाने में विफल रहे। शेष चार मामलों में, कर-निर्धारण प्राधिकारी संवीक्षा/कर-निर्धारण के दौरान भी कर के गलत दर लगाये जाने का पता लगाने में विफल रहे, जिससे ₹ 2.68 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 12.45 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने छः मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुये, ₹ 2.55 करोड़ का मांग सृजित किया तथा दो मामलों में ₹ 1.24 करोड़ की वसूली की। शेष स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित हैं (जून 2018) यद्यपि विभाग को मामला जुलाई 2017 में ही प्रतिवेदित किया गया था।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में कर के गलत दर लगाये जाने तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्न के प्रभावी संवीक्षा कर 105 व्यवसायियों से ₹ 113.30 करोड़ कर के कम संग्रहण का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, समान चूक/अनियमितताएँ होना निरंतर जारी हैं, जो दर्शाता है कि विभाग ने राजस्व के पुनरावर्ती रिसाव को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं किया।

अनुशंसा:

विभाग को एक प्रणाली विकसित करना चाहिए जिससे कर-निर्धारण प्राधिकारी आवश्यक रूप से कर के गलत दर लगाए जाने के मामलों का पता लगाने के लिए रिटर्न की संवीक्षा करें।

2.6 इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा 14 व्यवसायियों के रिटर्न की संवीक्षा नहीं किये जाने तथा वैटमिस पर आईटीसी लेजर के सत्यापन नहीं किये जाने के कारण ₹ 2.09 करोड़ के आईटीसी के गलत दावे का पता नहीं लगाया जा सका, जिससे अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 9.00 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, के प्रावधानों के तहत कोई व्यवसायी आईटीसी का दावा करने का हकदार है, यदि वह कर भुगतान के पश्चात् राज्य के अन्दर किसी अन्य निबंधित व्यवसायी से कोई सामान खरीदता है और ऐसे वस्तुओं की बिक्री राज्य के अंदर या राज्य के बाहर करता है या ऐसी बिक्री हेतु माल (अनुसूची-IV की वस्तुओं¹⁴ को छोड़कर) के विनिर्माण में उस वस्तु का उपभोग करता है। कर-निर्धारण प्राधिकारी को आईटीसी के गलत दावों के मामलों में कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड एवं ब्याज आरोपित करने का शक्ति प्रदत्त है।

2.6.1 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित/अधिक दावा

चार वाणिज्य-कर अंचलों¹⁵ में कर-निर्धारण अभिलेखों के लेखापरीक्षा नमूना जाँच से पता चला कि वर्ष 2013-14 एवं 2014-15, के दौरान सात व्यवसायियों (संवीक्षा का एक मामला एवं स्व-कर निर्धारण के छः मामलों) ने ₹ 116.69 करोड़ के वस्तुओं की खरीद पर उनके द्वारा ₹ 10.44 करोड़ के स्वीकार्य हकदारी के विरुद्ध ₹ 11.74 करोड़ के आईटीसी का उपभोग किया। हालाँकि, कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा रिटर्नों की संवीक्षा नहीं किये जाने एवं विभिन्न अस्वीकार्य मदों¹⁶ पर आईटीसी के गलत उपभोग का पता लगाने के लिए आईटीसी के दावों का सत्यापन नहीं किया गया तथा यहाँ तक कि एक संवीक्षित मामले में भी गलत

¹⁴ गैर मूल्यवर्द्धित कर योग्य वस्तुएँ जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सभी प्रकार के शराब एवं तम्बाकू उत्पाद।

¹⁵ भागलपुर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना सिटी पूर्वी एवं पटना विशेष।

¹⁶ जैसे कि आटा (जिसके बिक्री पर स्वीकृत कर देय नहीं था), अनुसूची-4 की वस्तुओं के विनिर्माण में उपभोग की गयी वस्तुएँ एवं उपभोग्य वस्तुएँ (स्पेयर पार्ट्स, ल्यूब्रिकेन्ट्स, इलेक्ट्रीकल गुड्स एवं फिटिंग्स)।

आईटीसी के दावों का पता लगाने में विफल रहे। फलस्वरूप, ₹ 3.91 करोड़ के अर्थदण्ड एवं ₹ 39.73 लाख के ब्याज सहित ₹ 5.60 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हो सका।

मामला विभाग को प्रतिवेदित (जुलाई 2017) किया गया था तथा उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2018)।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत दावों तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्नों की प्रभावी संवीक्षा कर 119 व्यवसायियों से ₹ 212.67 करोड़ कर के कम संग्रहण का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, विभाग ने 2015 में प्रधान सचिव द्वारा वैटमिस में आईटीसी के सत्यापन के लिए आईटीसी लेजर के विकास हेतु दिये गये आश्वासन के बावजूद आईटीसी के दावों का सत्यापन एवं उनकी स्वीकार्यता का जाँच सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं किया, जिसके फलस्वरूप अनियमितताओं की पुनरावृत्ति होती रही।

अनुशंसा:

विभाग को आईटीसी के दावों के समर्थन में साक्ष्य जमा करना अनिवार्य रूप से विहित करना चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर-निर्धारण प्राधिकारी उनकी स्वीकार्यता की जाँच अवश्य करे।

2.6.2 बड़ी हुई खरीद पर आईटीसी का अधिक दावा

छ: वाणिज्य कर अंचलों¹⁷ में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि सात व्यवसायियों (सभी मामले स्व-कर निर्धारण के) ने वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए ₹ 16.18 करोड़ के वस्तुओं का क्रय प्रकटित किया, यद्यपि उनकी वास्तविक खरीद ₹ 8.33 करोड़ की ही थी। इस प्रकार व्यवसायियों ने रिटर्न में ₹ 7.85 करोड़ के बड़ी हुई खरीद पर ₹ 79.27 लाख के अधिक आईटीसी का दावा किया जिसका पता क्रेता व्यवसायियों के रिटर्न/टीएआर में प्रकटित खरीद एवं विक्रेता व्यवसायियों के रिटर्न/टीएआर में प्रकटित बिक्री के तिर्यक जाँच में चला। हालाँकि, कर-निर्धारण प्राधिकारी रिटर्न की संवीक्षा करने में तथा ₹ 79.27 लाख के आईटीसी के गलत/अधिक दावों एवं बड़ी हुई खरीद का पता लगाने के लिए वैटमिस पर आईटीसी लेजर का सत्यापन करने में विफल रहे। फलस्वरूप, कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 2.38 करोड़ आरोप्य अर्थदण्ड एवं ₹ 22.50 लाख ब्याज सहित ₹ 3.40 करोड़ के कर का आरोपण नहीं किया।

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने एक मामले में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 1.05 करोड़ का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामले में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2018) यद्यपि मामला जुलाई 2017 में ही विभाग को प्रतिवेदित किया गया था।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में व्यवसायियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत दावों तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्नों की प्रभावी संवीक्षा कर गलत आईटीसी के फलस्वरूप 119 व्यवसायियों से ₹ 212.67 करोड़ कर के कम संग्रहण का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, विभाग ने 2015 में प्रधान सचिव द्वारा वैटमिस में आईटीसी के सत्यापन के लिए आईटीसी लेजर के विकास हेतु दिये गये आश्वासन के बावजूद आईटीसी के दावों के सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं किया। इसके फलस्वरूप अनियमितताओं की पुनरावृत्ति होती रही।

¹⁷ बगहा, बेगुसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना विशेष एवं सासाराम।

अनुशंसा:

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईटीसी दावों को कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा वैटमिस पर व्यवसायियों के आईटीसी लेजर के माध्यम से सत्यापित किया जाय।

2.7 रिवर्स क्रेडिट¹⁸ की गणना नहीं किए जाने के कारण आईटीसी की अधिक अनुमति

कर-निर्धारण प्राधिकारी, व्यवसायियों द्वारा रिवर्स क्रेडिट की गणना नहीं किए जाने का पता लगाने में विफल रहे जिससे अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 6.25 करोड़ के आईटीसी की अधिक अनुमति मिली।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005, यह उपबंधित करता है कि विनिर्माता व्यवसायी को आईटीसी रिवर्स करना है जब वह उन इनपुट्स, जिस पर आईटीसी का दावा किया गया है, से विनिर्मित वस्तुओं का अंतर्राज्यीय/राज्यान्तर्गत भंडार अंतरण करता है। बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली पुनः यह प्रावधित करता है कि आईटीसी रिवर्स किया जाएगा यदि जिन क्रय किए वस्तुओं पर आईटीसी का दावा किया गया था उन्हें बाद में खरीदार व्यवसायियों द्वारा उनके विक्रेता व्यवसायियों को वापस कर दिया जाता है। बिहार मूल्यवर्द्धित कर-अधिनियम, 2005, कर-निर्धारण प्राधिकारी को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह आईटीसी के गलत दावे पर देय कर के तीन गुणा समतुल्य अर्थदण्ड एवं ब्याज आरोपित करे।

पाँच वाणिज्य कर अंचलों¹⁹ में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा से पता चला कि पाँच व्यवसायियों (एक संवीक्षित एवं चार स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान क्रय पर ₹ 42.10 करोड़ के आईटीसी का दावा किया तथा ₹ 1.44 करोड़ के रिवर्स क्रेडिट किए बिना या तो क्रय किए गए वस्तुओं की वापसी कर दी या ऐसी खरीदी गई वस्तुओं का उपभोग करके विनिर्मित वस्तुओं का अंतर्राज्यीय/राज्यान्तर्गत भंडार अंतरण कर दिया। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने पाँच में से चार व्यवसायियों के रिटर्नों का संवीक्षा नहीं किया फलस्वरूप वे आईटीसी का रिवर्सल नहीं किए जाने का पता लगाने में विफल रहे, जिसमें उनके द्वारा कर-निर्धारित किया गया एक मामला भी सम्मिलित है। फलस्वरूप, कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा, ₹ 4.33 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड एवं ₹ 47.03 लाख ब्याज सहित, ₹ 6.25 करोड़ का कर आरोपित नहीं किया जा सका।

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने तीन मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए ₹ 4.33 करोड़ का मांग सृजित किया तथा एक मामले में ₹ 2.64 लाख की वसूली की। शेष स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जून 2018) यद्यपि विभाग को मामला जुलाई 2017 में ही प्रतिवेदित किया गया था।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह के अवलोकनों को इंगित किया गया था जिसमें कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्नों की प्रभावी संवीक्षा कर 16 व्यवसायियों से ₹ 18.68 करोड़ कर के कम संग्रहण का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, समान चूक/अनियमितताएँ होना निरंतर जारी हैं, जो यह दर्शाता है कि विभाग ने राजस्व के पुनरावर्ती रिसाव को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं किया।

¹⁸ बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005, के नियम 14, 15 एवं 16 में दिए गए परिस्थितियों के कारण व्यवसायी द्वारा पहले से लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल, रिवर्स क्रेडिट कहलाता है।

¹⁹ पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना विशेष एवं सीतामढ़ी।

2.8 प्रवेश कर के गलत समायोजन के कारण कर का कम आरोपण

कर-निर्धारण प्राधिकारी मूल्यवर्द्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर देयता के विरुद्ध प्रवेश कर के गलत समायोजन का पता लगाने में विफल रहे इससे ब्याज सहित ₹ 2.97 करोड़ के मूल्यवर्द्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार प्रवेश कर अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत किसी व्यवसायी द्वारा अनुसूचित वस्तुओं²⁰ पर भुगतान किया गया प्रवेश कर का समायोजन उसके मूल्यवर्द्धित कर देयता के विरुद्ध विभिन्न परिस्थितियों में स्वीकार्य नहीं होगा जैसे कि (i) आयातित वस्तुओं कि पुनर्बिक्री नहीं की गयी, (ii) मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर के दर से कम था, एवं (iii) विनिर्माता लघु, मध्यम अथवा रूग्ण उद्योग के श्रेणी से संबंधित नहीं थे। पुनः, केन्द्रीय बिक्री कर की देयता प्रवेश कर से समायोजन योग्य नहीं है।

सात वाणिज्य कर अंचलों²¹ में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा से पता चला कि 10 स्व-कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान भुगतान किए गए ₹ 240.35 करोड़ के प्रवेश कर की राशि का समायोजन मूल्यवर्द्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर की देयता से किया। हालाँकि, व्यवसायी केवल ₹ 238.07 करोड़ के प्रवेश कर के समायोजन के योग्य थे, क्योंकि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत शेष ₹ 2.29 करोड़ का समायोजन स्वीकार्य नहीं था। इससे मूल्यवर्द्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर की देयता के विरुद्ध ₹ 2.29 करोड़ के प्रवेश कर का गलत समायोजन हुआ। कर-निर्धारण प्राधिकारी रिटर्नों की संवीक्षा करने तथा प्रवेश कर के गलत समायोजन का पता लगाने में विफल रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 67.94 लाख के ब्याज सहित ₹ 2.97 करोड़ के मूल्यवर्द्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर का कम आरोपण हुआ।

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने एक मामले में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 24.58 लाख का मांग सृजित किया। स्वीकृत मामले में वसूली एवं शेष मामलों के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जून 2018) यद्यपि विभाग को मामला जुलाई 2017 में ही प्रतिवेदित किया गया था।

वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में व्यवसायियों द्वारा इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्न की प्रभावी संवीक्षा कर 125 व्यवसायियों से ₹ 89.91 करोड़ कर के कम संग्रहण का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, विभाग ने आवश्यक उपाय नहीं किया फलस्वरूप समान चूक/अनियमितताओं की पुनरावृत्ति हुई।

अनुशंसा:

विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा प्रवेश कर के अनियमित समायोजन के मामलों का पता लगाने हेतु रिटर्नों की संवीक्षा की जाय।

2.9 कटौतियों की गलत अनुमति/लाभ लिया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारी कार्य संवेदकों द्वारा कटौतियों के गलत लाभ लिए जाने का पता लगाने में विफल रहे जिससे ₹ 1.69 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 एवं नियमावली, 2005 उपबंधित करता है कि एक कार्य संवेदक मजदूरी/सेवा एवं अन्य प्रभार के मद में कटौतियों के लिए उत्तरदायी है।

दो वाणिज्य कर अंचलों (भागलपुर एवं मुंगेर) में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा से पता चला कि दो कार्य संवेदकों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की

²⁰ बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लेखित वस्तुओं जिस पर अनुसूची में निर्धारित विभिन्न दरों पर प्रवेश कर आरोप्य है।

²¹ हाजीपुर, कदमकुआँ, पटना मध्य, पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी एवं शाहाबाद (आरा)।

अवधि के दौरान मजदूरी एवं अन्य प्रभारों के विरुद्ध ₹ 372.86 करोड़ के कटौतियों का लाभ लिया। अभिलेखों²² के अवलोकन से पता चला कि वे केवल ₹ 343.09 करोड़ के कटौतियों के ही योग्य थे तथा उन्होंने अस्वीकार्य मदों²³ के अंतर्गत ₹ 29.77 करोड़ के कटौतियों का लाभ लिया। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने रिटर्नों का संवीक्षा नहीं किया एवं इस प्रकार गलत कटौतियों का पता नहीं लगा सके। इसके अलावा, यह पाया गया कि कार्य संवेदकों द्वारा कटौतियों के दावों के समर्थन में साक्ष्य, जो कि रिटर्नों के साथ जमा करने थे बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम/नियमावली के तहत विहित नहीं किये गये थे। इस तरह ₹ 29.77 करोड़ की गलत कटौतियाँ हुईं जिसके फलस्वरूप ₹ 1.69 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

मामला विभाग को प्रतिवेदित (जुलाई 2017) किया गया एवं उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2018)। वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह के अवलोकनों को इंगित किया गया था जिसमें व्यवसायियों द्वारा इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्नों की प्रभावी संवीक्षा कर 82 व्यवसायियों से ₹ 32.71 करोड़ कर के कम संग्रहण का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, समान चूक/अनियमितताएँ होना निरंतर जारी हैं, जो यह दर्शाता है कि विभाग ने इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम नहीं उठाए।

अनुशंसा:

विभाग को कार्य संवेदकों के रिटर्नों का कर-निर्धारण अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम/नियमावली के तहत कार्य संवेदकों के लिए कटौतियों के दावों के समर्थन में साक्ष्य जमा करना अनिवार्य नहीं है।

2.10 विद्युत मीटर के किराया प्रभार पर कर का कम आरोपण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने विद्युत मीटरों के किराया प्रभार पर ब्याज सहित ₹ 2.80 करोड़ के मूल्यवर्द्धित कर का अवनिर्धारण किया।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत "बिक्री" में किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी वस्तु के हस्तांतरण का अधिकार सम्मिलित है।

पटना विशेष वाणिज्य कर अंचल में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा से पता चला कि दो व्यवसायियों ने वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान ₹ 148.51 करोड़ के विद्युत मीटर के किराये के प्राप्तियों पर कोई मूल्यवर्द्धित कर स्वीकार नहीं किया। कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर-निर्धारण करते समय वार्षिक लेखों की अनुसूचियों के वास्तविक परीक्षण के बिना इस धारणा के अंतर्गत कि मीटर किराया प्राप्तियों में मूल्यवर्द्धित कर सम्मिलित थे, मूल्यवर्द्धित कर को घटाने के पश्चात् केवल ₹ 130.84 करोड़ का कर योग्य आवर्त निर्धारित किया गया। हालाँकि, वार्षिक लेखों एवं अनुसूचियों के लेखापरीक्षा के जाँच में पता चला कि ₹ 148.51 करोड़ के मीटर किराया प्राप्तियों में कोई कर समाहित नहीं थे। इस प्रकार कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सावधानी की कमी के कारण ₹ 23.70 करोड़ (ब्याज सहित) के बदले मात्र ₹ 20.90 करोड़ (ब्याज सहित) के मूल्यवर्द्धित कर का आरोपण किया गया, जिससे ₹ 2.80 करोड़ के ब्याज एवं कर का कम आरोपण हुआ।

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने एक मामले में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा कर-निर्धारण आदेश का सुधार करते हुए ₹ 1.52 करोड़ का अतिरिक्त माँग सूजित किया। स्वीकृत मामले में वसूली एवं शेष मामलों के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जून 2018) यद्यपि विभाग को मामला जुलाई 2017 में ही प्रतिवेदित किया गया था।

²² रिटर्न, लाभ एवं हानि लेखे एवं टीएआर।

²³ अन्तर्राज्यीय वाणिज्य एवं व्यापार के क्रम में वस्तुओं का क्रय, टीडीएस, अन्य लघु प्रशासनिक खर्च तथा सेवा एवं मजदूरी के अलावा लाभ।

2.11 स्वीकृत कर एवं ब्याज का भुगतान कम/नहीं किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारी स्वीकृत कर के भुगतान नहीं/कम/विलंब से किये जाने का पता लगाने में विफल रहे जिससे ₹ 6.27 करोड़ के कर एवं ब्याज की वसूली कम/नहीं हुई।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 उपबंधित करता है कि प्रत्येक व्यवसायी कर का भुगतान आगामी माह के पन्द्रहवें दिन या उसके पहले करेगा, जिसमें विफल रहने पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करने हेतु दायी होगा। कर-निर्धारण प्राधिकारियों को कर एवं ब्याज के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए तिमाही के साथ-साथ वार्षिक रिटर्नों की संवीक्षा करनी है।

- अट्हाईस वाणिज्य कर अंचलों²⁴ में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा से पता चला कि 52 स्व-कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान ₹ 33.50 करोड़ के भुगतेय स्वीकृत कर के विरुद्ध केवल ₹ 29.66 करोड़ का भुगतान किया। इस प्रकार, उन्होंने ₹ 3.85 करोड़ कर का कम भुगतान किया। कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा रिटर्नों की संवीक्षा नहीं किये जाने के कारण ₹ 1.03 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 4.88 करोड़ कर का भुगतान कम/नहीं किए जाने का पता लगाने में वे विफल रहे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि स्वीकृत कर के भुगतान कम/नहीं होने की स्थिति में अलर्ट करने हेतु रेड प्लैग किए जाने का वैटमिस में प्रणाली का अभाव है।

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने 16 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुये, ₹ 1.29 करोड़ का मांग सृजित किया तथा तीन²⁵ मामलों में ₹ 11.43 लाख की वसूली की। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जून 2018) यद्यपि विभाग को जुलाई 2017 में ही मामला प्रतिवेदित किया गया था।

- सत्रह वाणिज्य कर अंचलों²⁶ में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा से पता चला कि 23 स्व-कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान स्वीकृत कर का भुगतान दो से 823 दिनों के विलंब से किया था। रिटर्नों की संवीक्षा नहीं करने के कारण इस तरह के चूक के लिये ₹ 1.39 करोड़ के ब्याज का आरोपण करने में कर-निर्धारण प्राधिकारी विफल रहे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि स्वीकृत कर का विलंब से भुगतान किए जाने की स्थिति में अलर्ट करने हेतु वैटमिस में रेड प्लैग करने के प्रणाली का अभाव है।

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने पाँच मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुये ₹ 64.90 लाख का मांग सृजित किया तथा एक मामले में ₹ 2.14 लाख की वसूली की। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जून 2018) यद्यपि विभाग को जुलाई 2017 में ही मामला प्रतिवेदित किया गया था।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह के अवलोकनों को इंगित किया गया था जिसमें व्यवसायियों द्वारा इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्नों की प्रभावी संवीक्षा कर 177 मामलों में ₹ 74.52 करोड़ के कर तथा उस पर आरोपित ब्याज का कम भुगतान का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, समान चूक/अनियमितताएँ होना

²⁴ बगहा, बेगुसराय, भभुआ, भागलपुर, दरभंगा, फारबिसगंज, गोपालगंज, कदमकुआँ, लखीसराय, मधुबनी, मोतीहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, नवादा, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, सहरसा, सासाराम, सीतामढ़ी, सीवान एवं तेघड़ा।

²⁵ यह मामलें भभुआ, मोतिहारी एवं सीतामढ़ी से संबंधित हैं।

²⁶ औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, गाँधी मैदान, गोपालगंज, कदमकुआँ, मोतीहारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सीतामढ़ी एवं सीवान।

निरंतर जारी हैं, जो यह दर्शाता है कि विभाग ने इनकी पुनरावृत्ति एवं राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं किया।

अनुशंसा:

विभाग को स्वीकृत कर के भुगतान नहीं/कम/विलंब से करने के मामलों को पता लगाने के लिए वैटमिस में एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

2.12 क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारी क्रय/विक्रय के ब्यौरों के तिर्यक जाँच करने में विफल रहे तथा एक व्यवसायी के मामले में ब्याज सहित ₹ 70.82 करोड़ के क्रय कर का आरोपण नहीं किया।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर-अधिनियम, 2005, के तहत क्रय कर उन परिस्थितियों में आरोपित होता है जहाँ वस्तुओं के क्रय के समय कोई कर भुगतान नहीं है तथा बाद में वस्तुओं का हस्तांतरण (बिक्री के अलावा) दूसरे व्यवसायी को किया जाता है।

पाटलिपुत्र वाणिज्य-कर अंचल में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा से पता चला कि एक व्यवसायी, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (बीएसएफसीएसएल) ने बिना कर²⁷ का भुगतान किए विभिन्न अनिबंधित किसानों से ₹ 1,644.12 करोड़ के खाद्यानों की अधिप्राप्ति किया तथा उन खाद्यानों का हस्तांतरण भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को किया। हालाँकि, एफसीआई को हस्तांतरण का तथ्य बीएसएफसीएसएल द्वारा दाखिल रिटर्नों में प्रकटित नहीं किया गया था। जबकि एफसीआई द्वारा दाखिल रिटर्नों में वर्ष 2013-14 के दौरान बीएसएफसीएसएल से ₹ 1644.12 करोड़ के खाद्यानों की प्राप्ति प्रकटित की गयी थी। इस प्रकार, उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत क्रय कर आरोपित किया जाना था। कर-निर्धारण प्राधिकारी क्रय/विक्रय के ब्यौरों के तिर्यक जाँच करने में विफल रहे फलस्वरूप ₹ 15.06 करोड़ के ब्याज एवं ₹ 49.32 करोड़ के अतिरिक्त कर सहित ₹ 70.82 करोड़ के क्रय कर का आरोपण नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा अवलोकन के प्रतिक्रिया में, कर-निर्धारण प्राधिकारी ने मामले का कर-निर्धारण किया तथा ₹ 70.82 करोड़ का मांग सृजित (अगस्त 2016) किया। वसूली के ब्यौरे प्रतीक्षित हैं (जून 2018) यद्यपि मामला विभाग को जुलाई 2017 में ही प्रतिवेदित किया गया था।

वर्ष 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इसी व्यवसायी द्वारा ₹ 72.88 करोड़ (अर्धदण्ड एवं ब्याज सहित) के कर का अवनिर्धारण को रेखांकित किया गया था। हालाँकि कर-निर्धारण प्राधिकारी इसकी पुनरावृत्ति रोकने एवं राजस्व की सुरक्षा करने में विफल रहे।

अनुशंसा:

विभाग को व्यवसायियों द्वारा क्रय कर से संबंधित नियमों के अनुपालन तथा इसका अनुपालन नहीं किए जाने का पता लगाना सुनिश्चित करना चाहिए।

2.13 अधिभार का आरोपण नहीं/कम किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारी तम्बाकू उत्पादों के बिक्री पर ₹ 43.45 लाख के अधिभार का आरोपण करने में विफल रहे।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, के तहत मई 2013 में जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक व्यवसायी जिसने तम्बाकू उत्पादों की बिक्री किया है, उसे 15 प्रतिशत की दर से अधिभार का भुगतान करना था।

²⁷ बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के धारा 43(1) के तहत, कोई अनिबंधित व्यक्ति वस्तुओं के विक्रय पर कर का संग्रहण नहीं कर सकता है।

सात वाणिज्य कर अंचलों²⁸ में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि सात व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 15.25 करोड़ के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर ₹ 4.16 करोड़ के कर का भुगतान किया। हालाँकि, ₹ 62.45 लाख के भुगतये राशि के विरुद्ध इन सात व्यवसायियों में से केवल एक व्यवसायी द्वारा ₹ 19.00 लाख के अधिभार का भुगतान किया गया। कर-निर्धारण प्राधिकारी व्यवसायियों के रिटर्नों की संवीक्षा करने में विफल रहे फलस्वरूप ₹ 43.45 लाख के अधिभार का कम आरोपण हुआ। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि व्यवसायियों द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर अधिभार के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए वैटमिस में कम्पोजिटी लिंकड परिमापन का अभाव था।

लेखापरीक्षा अवलोकन के पश्चात् कर-निर्धारण प्राधिकारी ने एक मामले में ₹ 2.81 लाख की वसूली की। शेष मामलों के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जून 2018) यद्यपि विभाग को मामला जुलाई 2017 में ही प्रतिवेदित किया गया था।

वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह के अवलोकनों को इंगित किया गया था। हालाँकि, समान चूक/अनिमिततायें होना निरंतर जारी है, जो दर्शाता है कि विभाग ने इनकी पुनरावृत्ति तथा राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं किया।

अनुशंसा:

विभाग को तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार के आरोपण एवं संग्रहण को सुनिश्चित करना चाहिए।

2.14 बंद हुए व्यापार के अंतिम भंडार पर कर का आरोपण नहीं किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारी, एक व्यवसायी जिसने अपना व्यापार बंद कर दिया था के अंतिम भंडार के वस्तुओं पर, ₹ 3.20 करोड़ की कर देयता का पता लगाने में विफल रहे।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, के अनुसार एक निबंधित व्यवसायी को व्यापार के बंद या समाप्त होने पर भंडार के शेष वस्तुओं पर कर का भुगतान करना है।

पटना उत्तरी वाणिज्य कर अंचल में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा से पता चला कि एक व्यवसायी (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2013-14 की अवधि के लिए दाखिल अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 52.28 करोड़ के वस्तुओं का अंतिम भंडार प्रकटित किया था। व्यवसायी ने दिसम्बर 2014 से न तो कोई रिटर्न दाखिल किया और न ही बाद के वर्षों में कोई कर का भुगतान किया क्योंकि उसने अपना व्यापार बंद कर दिया था और इसलिए वह उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान के तहत अंतिम भंडार की वस्तुओं पर कर के भुगतान एवं आरोप्य ब्याज के लिए उत्तरदायी था। कर-निर्धारण प्राधिकारी व्यवसायी द्वारा व्यापार के बंद होने का पता लगाने एवं अंतिम भंडार पर कर आरोपित करने में विफल रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 58.81 लाख के ब्याज सहित ₹ 3.20 करोड़²⁹ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 3.36 करोड़ का मांग सृजित किया। हालाँकि, वसूली प्रतीक्षित है (जून 2018) यद्यपि विभाग को मामला जुलाई 2017 में ही प्रतिवेदित किया गया था।

²⁸ भागलपुर, फारबिसगंज, हाजीपुर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना दक्षिणी एवं पटना विशेष।

²⁹ संगणना: ₹ 52,27,65,586 पर कर पाँच प्रतिशत की दर से = ₹ 2,61,38,279
15 माह के लिए ब्याज 1.5 प्रतिशत की दर से = ₹ 58,81,112
कुल = ₹ 3,20,19,391

2.15 मार्गस्थ बिक्री के विरुद्ध कटौतियों का अनियमित दावा

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने मार्गस्थ बिक्री के अनियमित दावों का पता नहीं लगाया जिससे ₹ 42.75 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 एवं केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली, 1957 यह प्रावधित करता है कि अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के लिए वस्तुओं के आवागमन के दौरान किए गए वस्तुओं की मार्गस्थ बिक्री के लिए छूट का दावा व्यवसायी द्वारा फार्म-सी एवं प्रमाण-पत्र ई-1 प्रस्तुत करने पर अनुमान्य है। वाणिज्य-कर आयुक्त ने 2006, 2011 एवं 2013 में सभी कर-निर्धारण प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अन्तर्राज्यीय बिक्री के विरुद्ध छूट/रियायत के दावों को अमान्य कर दें जो तय समय के अन्दर विहित दस्तावेजों के द्वारा समर्थित नहीं है तथा वे इन अमान्य दावों पर लागू ब्याज के साथ कर आरोपित करें।

दो वाणिज्य कर अंचलों (पटना मध्य एवं पटना विशेष) में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा से पता चला कि दो व्यवसायियों³⁰ (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 245.11 करोड़ के वस्तुओं के मार्गस्थ बिक्री के लिए छूट का दावा किया। हालाँकि, व्यवसायियों ने अपने दावों के समर्थन में वस्तुओं के आवागमन का साक्ष्य (सुविधा³¹ में उत्पन्न रोड परमिट के उपयोग) एवं फार्म ई-1 में प्रमाण-पत्र तथा फार्म-सी में घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया। कर-निर्धारण प्राधिकारी मार्गस्थ बिक्री के विरुद्ध छूट के गलत दावों का पता लगाने में विफल रहे जिससे ₹ 9.66 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 42.75 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कर-निर्धारण प्राधिकारी ने एक मामले में ₹ 16.44 करोड़ का मांग सृजित किया। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों का उत्तर प्रतीक्षित हैं (जून 2018) यद्यपि विभाग को मामला जुलाई 2017 में ही प्रतिवेदित किया गया था।

वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह के अवलोकनों को इंगित किया गया था जिसमें व्यवसायियों द्वारा इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्नों की प्रभावी संवीक्षा कर व्यवसायियों द्वारा गलत छूट लेने के पाँच मामलों में ₹ 11.75 करोड़ के कर का अनियमितता का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, वाणिज्य-कर आयुक्त द्वारा 2006, 2011 एवं 2013 में यह दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद भी कि विहित समय में ऐसे मामलों की संवीक्षा कर, विहित दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा असमर्थित ऐसे दावों को अमान्य करें, समान चूक/अनियमितताएँ होना निरंतर जारी हैं।

³⁰ संगणना:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	व्यवसायी का नाम/टिन	अवधि	मार्गस्थ बिक्री की राशि	आरोप्य कर	ब्याज	कुल
1.	ए 2 जेड इन्फ्रा इंजीनियरिंग लि० 10010652007	2013-14	87.60	11.83	3.55	15.38
2.	श्री गोपी कृष्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० 10157633047	2013-14	15.34	2.07	0.93	3.00
		2014-15	142.17	19.19	5.18	24.37
कुल			245.11	33.09	9.66	42.75

³¹ सुविधा (सिमप्लीफाईड यूजेज ऑफ वेहिकल इनफॉर्मेशन डाटा हारमोनाइज्ड एप्लीकेशन) एक ऐसा एप्लीकेशन है जो माल के परिवहन के विवरण कैचर करता है और विभिन्न माल की पहचान करने के लिए 16 अंक का यूनिक संख्या जनरेट करता है।

अनुशंसा:

विभाग को वाणिज्य-कर आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए तथा जो अधिकारी/कर्मचारी इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।

प्रवेश कर

2.16 प्रवेश कर का अवनिर्धारण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, तथा बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993, कर-निर्धारण प्राधिकारियों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे किसी भी कारण जैसे, छिपाव, त्रुटि, प्रकट नहीं करना इत्यादि, से छूटे हुए आवर्त पर भुगतेय कर के अलावा, भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड एवं ब्याज आरोपित करेंगे। उपरोक्त अधिनियम पुनः यह प्रावधित करता है कि कर-निर्धारण प्राधिकारी, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25 (1) (क) से (छ) तक के तहत प्रावधित छः जाँच सूची के अनुसार, तिमाही एवं वार्षिक रिटर्न की संवीक्षा करेंगे।

2.16.1 आयात³² मूल्य का छिपाव किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारी व्यवसायियों द्वारा अनुसूचित वस्तुओं के आयात के छिपाव का पता लगाने में विफल रहे जिससे अर्थदण्ड सहित ₹ 6.03 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

पाँच वाणिज्य कर अंचलों³³ में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा से पता चला कि आठ व्यवसायियों (एक कर-निर्धारित एवं सात स्व-कर निर्धारित) ने अपने रिटर्न में ₹ 365.69 करोड़ के अनुसूचित वस्तुओं का आयात मूल्य प्रकट किया। हालाँकि, संबंधित अभिलेखों³⁴ के तिर्यक जाँच के दौरान पाया गया कि उनका वास्तविक आयात मूल्य ₹ 392.87 करोड़ था। इस प्रकार व्यवसायियों ने 2013-14 तथा 2014-15 की अवधि के दौरान अपने रिटर्न में ₹ 27.18 करोड़ के आयात मूल्य का छिपाव किया। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने सात मामलों में रिटर्न का संवीक्षा नहीं किया तथा उनके द्वारा कर-निर्धारित एक मामले में भी वे आवर्त के छिपाव का पता लगाने में विफल रहे जिससे ₹ 4.53 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 6.03 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने एक मामले में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 4.88 लाख का मांग सृजित किया (अप्रैल 2018)। स्वीकृत मामले में वसूली एवं शेष मामलों के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जून 2018) यद्यपि विभाग को मामला जुलाई 2017 में ही प्रतिवेदित किया गया था।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह के अवलोकनों को इंगित किया गया था जिसमें व्यवसायियों द्वारा इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्न की प्रभावी संवीक्षा कर 70 मामलों में ₹ 385.16 करोड़ के कर का अवनिर्धारण का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, समान चूक/अनियमिततायें होना निरंतर जारी है, जो दर्शाता है कि विभाग ने इनकी पुनरावृत्ति तथा राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं किया।

³² देश के बाहर के साथ-साथ राज्य के बाहर से क्रय/प्राप्त की गयी वस्तुएँ।

³³ औरंगाबाद, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, सहरसा एवं समस्तीपुर।

³⁴ सुविधा तथा फार्म-सी घोषणा प्रपत्र, की उपयोगिता विवरणी के साथ प्रवेश कर के अंतर्गत व्यवसायियों द्वारा दाखिल रिटर्न।

अनुशंसा:

विभाग, स्व-कर निर्धारित मामलों में क्रय/आयात के छिपाव का पता लगाने हेतु व्यवसायियों के अन्य संबंधित अभिलेखों के साथ आवर्त के तिर्यक जाँच के लिए एक प्रणाली विहित कर सकता है।

2.16.2 प्रवेश कर का कम आरोपण किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारी आठ व्यवसायियों के वास्तविक प्रवेश कर के दायित्व का पता लगाने में विफल रहे जिससे ₹ 92.27 लाख के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

आठ वाणिज्य कर अंचलों³⁵ में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा से पता चला कि आठ व्यवसायियों (कर-निर्धारण के दो मामलों एवं स्व-कर निर्धारण के छः मामलों) ने वर्ष 2012-13 से 2014-15 के अवधि के दौरान ₹ 21.71 करोड़ के अनुसूचित वस्तुओं का आयात किया जिस पर उनके प्रवेश कर का दायित्व ₹ 1.13 करोड़ था परंतु उन्होंने केवल ₹ 20.35 लाख के प्रवेश कर को स्वीकार एवं भुगतान किया, जैसा कि संबंधित अभिलेखों³⁶ के तिर्यक जाँच में पाया गया। दो कर-निर्धारित मामलों में भी अभिलेखों से कर के अवनिर्धारण का पता लगाने में कर-निर्धारण प्राधिकारी विफल रहे, जिससे ₹ 92.27 लाख के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने तीन मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 25.41 लाख का मांग सृजित किया (अप्रैल 2018)। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जून 2018) यद्यपि विभाग को मामला जुलाई 2017 में ही प्रतिवेदित किया गया था।

वर्ष 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इसी तरह के अवलोकनों को इंगित किया गया था जिसमें व्यवसायियों द्वारा इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्नों की प्रभावी संवीक्षा कर नौ मामलों में ₹ 838.97 करोड़ के कर का अवनिर्धारण का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, समान चूक/अनियमिततायें होना निरंतर जारी है, जो दर्शाता है कि विभाग ने इनकी पुनरावृत्ति तथा राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं किया।

2.17 प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा/कर-निर्धारण, अपूर्ण/नहीं किए जाने के कारण, प्रवेश कर के गलत दर लगाये जाने का पता लगाने में विफल रहे जिससे ब्याज सहित ₹ 36.11 लाख के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रवेश कर का भुगतान प्रावधित करता है। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम एवं बिहार प्रवेश कर अधिनियम कर-निर्धारण प्राधिकारी को, लगाये जाने वाले कर के सही दरों को सुनिश्चित करने के लिए, तिमाही रिटर्न के साथ-साथ वार्षिक रिटर्न की संवीक्षा हेतु विहित करता है।

चार वाणिज्य कर अंचलों³⁷ में कर-निर्धारण अभिलेखों के लेखापरीक्षा नमूना जाँच से पता चला कि चार व्यवसायियों (कर-निर्धारण का एक मामला एवं स्व-कर निर्धारण के तीन मामलों) ने 2013-14 एवं 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 7.53 करोड़ के विभिन्न अनुसूचित वस्तुओं³⁸

³⁵ भभुआ, दानापुर, हाजीपुर, कटिहार, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना विशेष एवं सासाराम।

³⁶ सुविधा, क्रय विवरणी तथा रिटर्न तथा मूल्यवर्द्धित कर के अंतर्गत दाखिल टीएआर तथा प्रवेश कर के अंतर्गत किया गया भुगतान।

³⁷ औरंगाबाद, मोतीहारी, पटना मध्य तथा पटना दक्षिणी।

³⁸ बैट्री, इलेक्ट्रीकल गुड्स, लौह एवं इस्पात एवं प्लास्टिक की वस्तुएँ।

का आयात किया, परन्तु प्रवेश कर का दायित्व अधिनियम के अनुसूची के तहत निर्धारित दरों से कम दरों पर स्वीकार किया। पटना दक्षिणी अंचल के कर-निर्धारण प्राधिकारी सितम्बर 2015 में कर-निर्धारण के दौरान भी गलत दर लगाये जाने का पता लगाने में विफल रहे, यद्यपि अभिलेख पर वस्तुवार क्रय विवरणी मौजूद थी जो कर-निर्धारण के दौरान उनके लगन की कमी को दर्शाता है। शेष तीन मामलों में कर-निर्धारण प्राधिकारी रिटर्नों की संवीक्षा करने तथा कर के गलत दर लगाये जाने का पता लगाने में विफल रहे जिससे ₹ 1.08 लाख के ब्याज सहित ₹ 36.11 लाख के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ। लेखापरीक्षा ने पुनः पाया कि अनुसूची में दिए गए वस्तुओं के साथ कर के लागू दरों का वैटमिस में परिमाण का अभाव था, जिससे रिटर्न अपलोड करते समय दर स्वतः लागू हो जायें।

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने एक मामले में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 6.62 लाख का मांग सृजित किया (अप्रैल 2018)। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जून 2018) यद्यपि विभाग को मामला जुलाई 2017 में ही प्रतिवेदित किया गया था।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह के अवलोकनों को इंगित किया गया था जिसमें व्यवसायियों द्वारा इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्नों की प्रभावी संवीक्षा कर 48 मामलों में ₹ 80.02 करोड़ के कर का अवनियमन का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, समान चूक/अनियमिततायें होना निरंतर जारी है, जो दर्शाता है कि विभाग ने इनकी पुनरावृत्ति तथा राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं किया।

अनुशंसा:

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संवीक्षा द्वारा कर के गलत दर लगाए जाने के मामलों का पता लगे।

2.18 प्रवेश कर एवं ब्याज का भुगतान कम/नहीं किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारी प्रवेश कर के कम/विलंब से भुगतान किए जाने तथा ₹ 94.91 लाख का ब्याज आरोपित नहीं किए जाने का पता लगाने में विफल रहे।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 एवं बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993, उपबंधित करता है कि प्रत्येक व्यवसायी कर का भुगतान आगामी माह के पन्द्रहवें दिन या उसके पहले करेगा, जिसमें विफल रहने पर, वह 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। कर-निर्धारण प्राधिकारियों को ब्याज एवं कर के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए तिमाही के साथ-साथ वार्षिक रिटर्नों की संवीक्षा करनी है।

पाँच वाणिज्य कर अंचलों³⁹ में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि तीन स्व-कर निर्धारित व्यवसायियों ने 2014-15 की अवधि के दौरान उनके द्वारा दाखिल रिटर्नों में ₹ 2.27 करोड़ के प्रवेश कर दायित्व स्वीकार किया, यद्यपि उन्होंने केवल ₹ 2.01 करोड़ के प्रवेश कर का भुगतान किया। इस प्रकार, इन व्यवसायियों ने ₹ 26.08 लाख के प्रवेश कर का कम भुगतान किया। पुनः तीन अन्य व्यवसायियों ने वर्ष 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 5.07 करोड़ के प्रवेश कर के दायित्व का भुगतान 153 से लेकर 325 दिनों के विलंब से किया। परन्तु उनके द्वारा कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया गया यद्यपि उन पर ₹ 68.83 लाख के ब्याज का दायित्व था। इसका पता कर-निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं चला क्योंकि वे रिटर्नों की संवीक्षा करने में विफल रहे, जिससे ₹ 68.83 लाख के ब्याज तथा ₹ 26.08 लाख के स्वीकृत प्रवेश कर की कम वसूली हुई।

³⁹ औरंगाबाद, बिहारशरीफ, कदमकुआँ, पटना सिटी पूर्वी एवं पटना विशेष।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि व्यवसायियों द्वारा करों के विलंब से भुगतान एवं भुगतान कम/नहीं किए जाने के मामलों में मोबाईल फोन संदेशों तथा ई-मेल द्वारा मांग पत्र जारी करने के लिए वैटमिस में स्वतः जनित चेतावनी संबंधी प्रणाली का अभाव है।

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने एक मामले में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 2.11 लाख का मांग सृजित किया (अप्रैल 2018)। स्वीकृत मामले में वसूली एवं शेष मामलों के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जून 2018) यद्यपि विभाग को मामला जुलाई 2017 में ही प्रतिवेदित किया गया था।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह के अवलोकनों को इंगित किया गया था जिसमें व्यवसायियों द्वारा इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्नों की प्रभावी संवीक्षा कर 34 मामलों में ₹ 145.86 करोड़ के कर का अवनियमितता का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, समान चूक/अनियमिततायें होना निरंतर जारी है, जो दर्शाता है कि विभाग ने इनकी पुनरावृत्ति तथा राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं किया।

अनुशंसा:

विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि संवीक्षा के द्वारा कर के कम/विलंब से भुगतान के मामलों का पता लगे।

2.19 प्रवेश कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारी, प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत अनिबंधित व्यवसायियों द्वारा अनुसूचित वस्तुओं के आयात का पता लगाने में विफल रहे जिससे अर्थदण्ड सहित ₹ 34.30 लाख के प्रवेश कर का आरोपण नहीं हुआ।

बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 एवं नियमावली के तहत प्रत्येक व्यवसायी प्रवेश कर के भुगतान हेतु दायी होने के सात दिनों के अंदर निबंधन के लिए आवेदन करेगा। व्यवसायी द्वारा निबंधन के लिए आवेदन करने में जानबूझकर विफल रहने के मामले में, कर-निर्धारण प्राधिकारियों को यह शक्ति प्राप्त है कि वे अपने स्वविवेक से देय कर की राशि तथा प्रत्येक चूक दिवस के लिए अर्थदण्ड ₹ 100 की राशि अथवा निर्धारित कर की राशि के समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, का निर्धारण करेंगे।

चार वाणिज्य कर अंचलों⁴⁰ में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि चार व्यवसायियों ने (सभी मामले स्व-कर निर्धारण के), जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अंतर्गत निबंधित थे, 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 3.85 करोड़ के विभिन्न अनुसूचित वस्तुओं⁴¹ का आयात किया। हालाँकि, उन्होंने अपना निबंधन बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत नहीं कराया था। कर-निर्धारण प्राधिकारी मूल्यवर्द्धित कर के अभिलेखों की संवीक्षा करने तथा उन अनिबंधित व्यवसायियों का पता लगाने में विफल रहे, यद्यपि प्रवेश कर के अंतर्गत निबंधन के लिए उनके उत्तरदायित्व की सूचना अभिलेखों⁴² पर मौजूद थी। लेखापरीक्षा ने पुनः पाया कि विभाग ने प्रवेश कर के अंतर्गत अनिबंधित व्यवसायियों द्वारा अनुसूचित वस्तुओं के आयात के रोकथाम एवं पता लगाने को सुनिश्चित करने के लिए कोई

⁴⁰ भागलपुर, पटना मध्य, पटना पश्चिमी एवं सहरसा।

⁴¹ बैट्री, डी.जी. सेट, लौह एवं इस्पात, प्लास्टिक शीट्स एवं फ़ैब्रिक्स, पीवीसी पाईप एवं सेनेट्री गुड्स।

⁴² मूल्यवर्द्धित कर के अंतर्गत दाखिल रिटर्न, टीएआर, व्यवसायियों द्वारा उपयोग किए गए सुविधा एवं वैटमिस पर अपलोडेड उनके प्रोफाईल।

प्रणाली नहीं बनाई है। इसलिए कर-निर्धारण प्राधिकारी ₹ 30.18 लाख के अर्थदण्ड सहित ₹ 34.30 लाख के प्रवेश कर का आरोपण करने में विफल रहे।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 2017) एवं उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2018)।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह के अवलोकनों को इंगित किया गया था जिसमें व्यवसायियों द्वारा इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्नों की प्रभावी संवीक्षा कर व्यवसायियों के अनिबंधित होने तथा 67 मामलों में ₹ 19.33 करोड़ के कर का अवनिर्धारण का पता नहीं लगा पाने की उनकी विफलता को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, समान चूक/अनियमिततायें होना निरंतर जारी है, जो दर्शाता है कि विभाग ने इनकी पुनरावृत्ति तथा राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं किया।